उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ – 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN : U 4 0 1 0 1 U P 1 9 8 0 S G C 0 0 5 0 6 5

पत्र संख्याः 2700 –मा0सं0–03/उ0नि0लि0/2014–5(22) मा0सं0–03/2014 दिनांकः 28 अक्टूबर ,2014

––सूची संलग्न––

विषयः <u>उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) संवर्ग में नियुक्ति।</u>

महोदय,

सचिव, उत्पादन सेवा आयोग, लखनऊ के विज्ञापन संख्याः यू0–13/उप्रराविउसेआ/2013 के संदर्भ में आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में सीधी भर्ती द्वारा अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन संलग्न सेवा–शर्तो (परिशिष्ट–1) के अधीन किया जाता है।

2– आपको अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) के रूप में ओबरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में तैनात किया जाता है तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक निर्देश परिशिष्ट–2 पर संलग्न हैः–

3– कार्य ग्रहण करने के समय आपको निम्नलिखित प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्र एवम् बन्ध–पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैंः–

(1)– <u>प्रमाण–पत्र</u>

(अ) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी जो सम्बन्धी न हों) से प्राप्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आपसे भली–भाँति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, कालेज अथवा स्कूल से सम्बन्धित न हों।

(ब) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु मूल प्रमाण–पत्रों एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रस्तुतीकरण।

(स) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त कार्यमुक्ति पत्र, (यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं)। कार्यमुक्ति पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि इस सम्बन्ध में बाद में कोई सूचना छिपायी गयी अथवा असत्य संज्ञान में आती है तो चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(द) उ0प्र0 शासन द्वारा बन्द हो चुके सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक उपक्रम के अभ्यर्थियों हेतु:–

विभागाध्यक्ष द्वारा विभाग के पुनर्वासित अथवा बन्दी के सम्बन्ध में कर्मचारी की अद्यतन वैद्यता का प्रमाण–पत्र संलग्न परिशिष्ट 'छ' में दिये गये प्रारूप पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके अभाव में अभ्यर्थी को किसी भी दशा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(य) किसी जनपद के सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त स्वास्थ्य उपयुक्तता प्रमाण–पत्र।

(र) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट 'ज') पर प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र। (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए)

(2)- <u>घोषणा–पत्र</u>

(अ) एक से अधिक जीवित पत्नी न होनें के सम्बन्ध में।

(ब) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में विवरण सहित घोषण–पत्र।

(स) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत गृह सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुए इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।

(द) उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषण–पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(य) राजनैतिक दलों से सम्बद्धता/सम्बन्धता सम्बन्धी घोषणा–पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(र) शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में सेवारत न हाने के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(ल) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर।

(3)- <u>बन्ध–पत्र</u>

बन्ध–पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिये। सेवा अनुबन्ध–पत्र आपके द्वारा एवं नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–1 में सेवा शर्तो के मद प्रस्तर–4 में वर्णित व्यक्ति (प्रतिभू) द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मैजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए। निष्पादित सेवा अनुबन्ध–पत्र के अभाव में आपकों कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। संलग्न सेवा–शर्तो के मद प्रस्तर–4 के अनुसार हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न न होने की दशा में बन्ध–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। बन्ध–पत्र के निष्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र निर्देशों सहित परिशिष्ट 'च' के रूप में संलग्न है। बन्ध पत्र नान–ट्रांसफरेबिल होगा व किसी अन्य संस्था/विभाग में दिये गये बन्ध पत्र के आधार पर उपरोक्त बन्ध–पत्र की शर्तो में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

4– यदि नियुक्ति सम्बन्धी सेवा–शर्ते आपको स्वीकार है तो प्रस्तर–2 में अंकित तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांकः 01 दिसम्बर 2014 से 03 दिसम्बर 2014 को प्रातः 10.00 बजे तक ओबरा तापीय परियोजना ओबरा, सोनभद्र में अपने समस्त प्रमाण–पत्रों, घोषणा–पत्रों एवं बन्ध–पत्र इत्यादि सहित कार्य ग्रहण करने हेतु उपस्थित हों। वांछित प्रमाण–पत्र, घोषणा–पत्रों एवं बन्ध–पत्र में से किसी एक के भी न होने, अथवा अपूर्ण होने पर आपको कार्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5– आपकी नियुक्ति निगम के बृहद ताप विद्युत गृह के संचालन एवम स्थापित संयत्रों/मशीनों के परिचालन एवम अनुरक्षण हेतु की जा रही है। अतः इन कार्यों के निवर्हन हेतु आपको सेवा काल के प्रारम्भिक दस वर्षों में निगम के ताप विद्युत गृह/गृहों में अनिवार्य रूप से तैनात रहना होगा।

6– यदि आप उपरोक्त तिथि तक वांछित अभिलेखों के साथ कार्यग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होतें है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जायेगा।

7– अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (जानपद) के रूप में आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवम् किसी भी समय बिना पूर्व सूचना अथवा बगैर कोई कारण इंगित किये समाप्त की जा सकती है।

8– आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के सम्बंन्ध में यह नियुक्ति पूर्णतया अनन्तिम है तथा अनुसूचित जाति/ जनजाति/ पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र के उचित माध्यम से जाति सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि सत्यापन किये जानें पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो आपकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेंगी।

9– झूठे प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कार्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–03)

संख्याः 2700 –मा0सं0–03/वि0उ0नि0लि/2014 – तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

फैक्स/स्पीड पोस्ट (1) मुख्य अभियन्ता ओबरा ताप विद्युत गृह,उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,(सोनभद्र) को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त प्रस्तर–4 में यथा वॉछित प्रमाण–पत्रों, घोषणा–पत्रों एवम बन्ध–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही अभ्यर्थी को अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (सिविल) के रूप में कार्य ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करें। वॉछित प्रमाणं–पत्रों, घोषणा–पत्रों एवम् बन्ध–पत्र में से किसी एक के भी न होने अथवा अपूर्ण होनें की दशा में अभ्यर्थी को कार्यग्रंहण करने की अनुमति न दी जाय। **यह सभी प्रपत्र प्रत्येक प्रशिक्षु हेतु**

2. Inclo. JE.Civil 2014

अलग–अलग पत्रावली में रखे जायेंगे और पूरे किये जाने के पश्चात् सभी प्रपत्रों की प्रति परियोजना स्तर पर अनुरक्षित की जायेगी जबकि मूल प्रति निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(3) निदेशक, तापीय प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, ओबरा (सोनभद्र)
(4) अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(5) अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 9वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(6) वरिष्ठ लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
(7) व्यक्तिगत पत्रावली।
(8) कट फाइल।

(विवेक कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–03)

3. Inclo. JE Civil 2014

सिविल

क0सं0	रोल नं0	नाम (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	गृह जनपद	चयनित श्रेणी	विधा
1	1101120	शरद कुमार	हरिचरन सिंह	आगरा	सामान्य	सिविल
2	1101215	आशुतोष सिंह	धर्मेन्द्र प्रताप सिंह	सीतापुर	सामान्य	सिविल
3	1201174	चन्द्रशेखर चौहान	रामाश्रय चौहान	आजमगढ़	सामान्य	सिविल
4	1202119	शैलेश कुमार	शिव प्रसाद	बलिया	अनु0जाति	सिविल
5	1209048	राहुल गुप्ता	बिरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	बलिया	अ0पि0जा0	सिविल
6	1501092	आशीष कुमार चौधरी	राजेन्द्र प्रसाद चौधरी	सिद्वार्थनगर	सामान्य	सिविल
7	1501111	सन्तोष कुमार पाल	नन्द कुमार पाल	गाजीपुर	सामान्य	सिविल
8	1501121	सलमान	युनुस	उन्नाव	सामान्य	सिविल
9	1501168	मुकेश कुमार	नरेश कुमार	दिल्ली	सामान्य	सिविल
10	1701058	राघवेन्द्र प्रताप सिंह	दामोदर सिंह	सोनभद्र	सामान्य	सिविल
11	1701072	प्रमोद कुमार गुप्ता	असरर्फी प्रसाद	महराजगंज	अ0पि0जा0	सिविल
12	1801132	धर्मेन्द्र कुमार पटेल	लवलेश पटेल	बांदा	सामान्य	सिविल
13	1801140	दीपक कुमार चौरसिया	राजनरायन चौरसिया	बलिया	सामान्य	सिविल
14	1801516	आनन्द कुमार विश्वकर्मा	दिनेश कुमार विश्व0	कानपुर	सामान्य	सिविल
15	1901300	चन्द्र प्रकाश	श्याम करन	जालौन	अ0पि0जा0	सिविल
16	1901305	राजेश	छोटेलाल	प्रतापगढ़	सामान्य	सिविल
17	1901308	सम्मी अली	अजीज अली	कुशीनगर	अ0पि0जा0	सिविल
18	1905150	उत्तम कुमार	रामकृपाल	फतेहपुर	अनु0 जाति	सिविल
19	1906055	मनीष बाबू	राजनरायन	औरैया	अनु0 जाति	सिविल
20	11001037	राहुल	प्रेम पाल	मेरठ	अनु0 जाति	सिविल
21	11001096	मोनू कुमार	शीषपाल सिंह	मेरठ	अ0पि0जा0	सिविल
22	11001130	निर्देश कुमार	तेजपाल सिंह	मेरठ	अनु0 जाति	सिविल

'घोषणा–पत्र'

मैं .....पुत्र/पुत्री श्री.....

.....निवासी (पूरा पता) .....

.....

.....

.....एतद्द्वारा घोषित

करता हूँ/करती हूँ कि :–

मैं अविवाहित/विवाहित हूँ। मेरे एक से अधिक जीवित पत्नी है/नहीं हैं।

हस्ताक्षर :.....

पूरा नाम :.....

पदनाम :.....

दिनांक :.....

(परिशिष्ट "क")

'चल/अचल' सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा-पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मै एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा पत्र में घोषणा करूंगा/करूंगी।

दिनांक :_____

हस्ताक्षर
नाम:_____
पद:_____

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ :-

'भूमि सम्पदा'

सम्पत्ति जहा है			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

'गृह सम्पदा'

गृह जहां स्थित है			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक, यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे है या किराये पर दिया है?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
कम सं०	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक :_____

हस्ताक्षर
नाम:_____
पद:_____

टिप्पणी :- अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या उसके साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गई समझी जायेगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूँजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूँजी (Investment) का स्वामी/स्वामिनी नहीं हूँ। यदि एतद्पश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूँजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा पत्र में कर दूँगा/दूँगी।

दिनांक :_____

हस्ताक्षर
नाम:_____
पद:_____

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी हैं या जिनको अन्य जमा पूँजी (Investment) है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से (Shares) व जमा पूँजी (Investment) रखता/रखती हूँ :–

हिस्से (Shares)

कम सं0	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का कय मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

जमा पूँजी (Investment)

कम सं0	विवरण	पूँजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कहीं पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा पत्र में कर दूंगा/दूंगी।

दिनांक :_____

हस्ताक्षर
नाम:_____
पद:_____

(च) केवल उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई चल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई चल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषणा पत्र में घोषणा करूंगा/करूंगी।

दिनांक :.....

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

पद :.....

(छ) केवल उनके लिए जिनके पास चल सम्पत्ति है।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की चल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी हूँ :-

क्रम०सं०	सम्पत्ति का विवरण	क्रय/धारण करने की तिथि	मूल्य	क्या क्रय/धारण करने हेतु पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की गई थी? यदि हाँ तो उस अनुज्ञा की संख्या तथा दिनांक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6

चल सम्पत्ति का तात्पर्य ऐसी प्रत्येक चल सम्पत्ति से है जिसका मूल्य रू0 1000/- अथवा कर्मचारी के एक माह का वेतन जो भी कम हो, से अधिक है।

दिनांक :.....

हस्ताक्षर :.....

नाम :.....

पद :.....

"(परिशिष्ट 'ख')"

मैं एतद्द्वारा निष्ठा पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन अपनी सेवा अवधि में सदैव निष्ठापूर्वक और सच्चाई के साथ निगम की सेवा में स्वयं अपने को लगाये रखूँगा/रखूँगी और उसके कार्यों की सदैव परम गोपनीयता बनाये रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्यपालन काल में या किसी प्रकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दूँगा/दूँगी।

प्रार्थी का हस्ताक्षर :_____

प्रार्थी का पूरा नाम:_____

दिनांक :_____

"(परिशिष्ट 'ग')"

मैं_____ आत्मज_____

निवासी (पूरा पता)_____

_____

एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि :–

(क) मै केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध किसी भी राजनैतिक पार्टी/संगठन का न तो सदस्य हूँ।
(ख) और न तो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध किसी भी राजनैतिक पार्टी या संगठन से सहानुभूति रखता हूँ/रखती हूँ और न ही उनकी कार्यकलापों से सम्बन्ध रखता हूँ/रखती हूँ।
(ग) और न तो भविष्य में उनसे सम्बन्ध रखूँगा/रखूँगी।

हस्ताक्षर :_____

पदनाम:_____

दिनांक :_____

"(परिशिष्ट 'घ')"

(अभ्यर्थी द्वारा किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/ उपक्रम में कार्यरत न होने की दशा में)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय संस्था/उपक्रम में किसी भी रूप में कार्यरत नहीं हूँ। इस सूचना के मिथ्या पाये जाने पर मेरी सेवायें तत्काल समाप्त की जा सकती हैं।

हस्ताक्षर :_____

नाम:_____

पद :_____

दिनांक :_____

(अभ्यर्थी के किसी शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था / उपक्रम में कार्यरत होने की दशा में)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि मैं _____ के विभाग में सेवारत था। मैं अपने पूर्व नियोजक द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) इलैक्ट्रिकल/मैकेनिकल के रूप में सेवा आरम्भ करने हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया/गई हूँ। कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र एतद्द्वारा संलग्न है।

सलग्नक :

हस्ताक्षर :_____

नाम:_____

पद :_____

दिनांक :_____

"(परिशिष्ट 'च')"

(अवर अभियन्ता द्वारा रू0 110 के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होना है)

"बन्ध–पत्र"

इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित हो कि श्री .....

पुत्र श्री ..... अस्थायी अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) जो उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के

नियुक्ति पत्र संख्या .....दिनांक .....में वर्णित शर्तों के

अधीन सेवा कर रहे हैं (एतद् पश्चात् "अवर अभियन्ता" कहलायेगें) एवं श्री .....

पुत्र श्री .....निवासी.....

(एतद् पश्चात् "प्रतिभू" कहलायेंगे) एतद्द्वारा आबद्ध होते हैं कि (जिनमें उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, वैधानिक प्रतिनिधि एवं उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को (एतद् पश्चात् "उत्पादन निगम" कहलाये) मांगे जाने पर रू0 2,00,000/– रू0 दो लाख मात्र देने के बन्धपत्रित होंगे।

दिनांक .....माह के दिन.....200

हस्ताक्षरित
(अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर)
(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

यतः उत्पादन निगम ने अवर अभियन्ता को नियुक्ति पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार अस्थायी अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्त किया है।

एवं अतः उत्पादन निगम को यह आश्वस्त करने के आशय से कि अवर अभियन्ता स्वयं अपनी ओर से उत्पादन निगम की सेवाओं को प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से पाँच वर्ष पश्चात् तक नहीं छोड़ेगा, अवर अभियन्ता यह बन्ध पत्र निष्पादित करता है अतः उपर्युक्त लिखित बाध्यता की यह शर्त है कि यदि अवर अभियन्ता अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात् उसके नियमित संवर्ग में अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति के दिनांक से पाँच वर्ष पश्चात् तक उत्पादन निगम की सेवाओं को किसी भी समय उत्पादन निगम की पूर्व अनुमति लिए बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में अवर अभियन्ता और अथवा, प्रतिभू से मांगे जाने पर अविलम्ब बन्ध–पत्र में वर्णित धनराशि का भुगतान करेंगे। तथा उसके अवर अभियन्ता अथवा प्रतिभू द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी अन्यथा यह पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगा।

यह सदा प्रतिबंधित होगा कि यदि उत्पादन निगम अवर अभियन्ता की सेवा समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बन्ध पत्र निष्प्रभावी समझा जायेगा।

साक्षी:.....

हस्ताक्षरित
अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)

" बन्ध पत्र निष्पादन किये जाने हेतु निर्देश "

प्रतिभूति बन्ध :-

1. बन्ध पत्र रू0 110/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए। यदि 110/- रू0 के स्टाम्प पेपर एक पन्ने (शीट) में उपलब्ध न हो तो, ऐसी दशा में दो या तीन पन्नों (शीट्स) जो कम मूल्य के हों परन्तु उनके मूल्य का कुल योग रू0 110/- हो, प्रयोग में लाये जा सकते हैं।
2. अवर अभियन्ता और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने (शीट्स) सहित, यदि कोई हो, बन्ध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ (पेज) पर हस्ताक्षर होना चाहिए।
3. बन्ध पत्र पर किसी प्रकार का कांट छांट, परिवर्तन अथवा पुनर्लेखन इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर अवर अभियन्ता और प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने चाहिए।
4. प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम, पता व पदनाम का उल्लेख उनके हस्ताक्षरों के नीचे करना चाहिए।
5. वह दिनांक जब बन्ध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था, नहीं बदला जाना चाहिए। निष्पादन के पश्चात् बन्ध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बन्ध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला व्यय अवर अभियन्ता को स्वयं वहन करना होगा।
6. बन्ध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए तथा अवर अभियन्ता एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किये गये हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किये जाने चाहिए।
7. अवर अभियन्ता और प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए।
8. प्रतिभू उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए तथा कम से कम रू0 2,00,000/- रू0 दो लाख मात्र के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए तथा इसके प्रमाण हेतु बन्ध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त "ऋण शोधन का प्रमाण पत्र" जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का न हो, संलग्न किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट–छ

विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त कर्मचारी की वैधता का प्रमाण–पत्र

प्रमाणपित किया जाता है कि श्री / श्रीमति / कुमारी.....

.....पुत्र / पत्नी / पुत्री .....

.....निवासी.....

.....प्रतिष्ठान.....

.....(विभाग का नाम).....

.....में दिनांक.....

से कार्यरत है। यह विभाग शासनादेश सं0 04 / 78–इले–99–114–इले / 98 दिनांक: 04 जनवरी, 1999 के अनुपालन में उ0प्र0 सरकार द्वारा बन्द होने वाले प्रतिष्ठानों / निगमों / उपक्रमों की सूची में सम्मिलित है।

इनके विरूद्ध कोई प्रशासनिक / अनुशासनात्क कार्यवाही लम्बित नहीं है।

हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर.....

प्रमाण–पत्र देने वाले (विभागाध्यक्ष)
अधिकारी का पूरा नाम.....
एवं कार्यालय की मुहर

परिशिष्ट "ज"

"उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम :.. तहसील............................नगर............................जिला............................ उत्तर प्रदेश राज्य की ....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी............................तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ....ग्राम............................ तहसील............................नगर............................जिला............................में सामान्यतः रहता है।

स्थान :............................

दिनांक............................

मुहर............................

हस्ताक्षर............................

पूरा नाम............................

पदनाम............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

"उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र का प्रपत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी............................सुपुत्र/सुपुत्री श्री ....निवासी ग्राम :............................ तहसील............................नगर............................जिला............................ उत्तर प्रदेश राज्य की ....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी............................उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 से आच्छादित नहीं हैं।

श्री/श्रीमती/कुमारी............................तथा/अथवा उक्त परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ....तहसील............................जिला............................ में सामान्यतः रहता है।

दिनांक............................

मुहर............................

हस्ताक्षर............................

पूरा नाम............................

पदनाम............................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

(परिशिष्ट "झ")

साक्ष्यांकन प्रपत्र

फोटो

चेतावनी :–

(1) इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी वास्तविक सूचना को दबाना किसी भी अभ्यर्थी को अनर्ह व उसे सेवायोजन दिये जाने के लिए अयोग्य कर सकता है।

(2) इस प्रपत्र को भरकर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा दी गई हो या विवर्जित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिए और इसका उल्लेख न करने की दशा में इसे वास्तविक सूचना को छिपाना माना जायेगा।

1. पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो..

2. पिता का पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो, सेवा व पद नाम भी दें यदि कोई हो

....

....

3. पिता की राष्ट्रीयता........................
   माता की राष्ट्रीयता........................
   पत्नी की राष्ट्रीयता........................
   पति की राष्ट्रीयता........................

4. जन्म स्थान (स्वयं का)........................
   पति/पत्नी का (यदि विवाहित हो)........................

5. (अ) गृह जनपद का नाम, जहाँ का रहने वाला/वाली हो........................
   (ब) घर का पूरा पता (ग्राम, थाना, जनपद/मार्ग, गली व भवन संख्या भी दें

....

....यदि मूल रूप में पाकिस्तान का निवासी हो तो उस देश के उसके सभी पते, व भारत में आव्रजन की उसकी तिथि भी वर्णित की जानी चाहिए

....

6. वर्तमान का पूरा पता ....

....

7. पिछले पाँच वर्षों में पते : –

कम सं0	दिनांक से	दिनांक तक	पता
1			
2			
3			

8. आयु व जन्म तिथि यदि अभ्यर्थी हाईस्कूल पास है तो प्रमाण–पत्र अनुसार उसका उल्लेख करें :

....

9. शैक्षिक अर्हतायें अभ्यर्थी ने 15वें वर्ष की आयु से जिन स्कूल या कालेजों से शिक्षा पाई हो उनका उल्लेख उत्तीर्ण होने के वर्ष संहित करें।

स्कूल/कालेज का नाम व पूरा पता	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	परीक्षा जो उत्तीर्ण की है

10. उस कार्यालय या फर्म का पूरा पता विवरण व पता जहाँ अभ्यर्थी पहले कार्य कर चुका हो या कार्य कर रहा हो :

पद का नाम व कार्य का विवरण	अवधि		कार्यालय, फर्म या संस्था का पूरा पता	पिछली सेवा को छोड़ने का कारण
	दिनांक से	दिनांक तक		

11. मोहल्ले के दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम व पते जिन्हें अभ्यर्थी के बारे में जानकारी हो :-

(1) .....

(2) .....

12. (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार, सजा, हवालात, परिबन्धित, अर्थदण्ड दिया गया है, या किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा/चयन में भाग लेने से विवर्जित/अनर्ह किया गया है या किसी शैक्षिक अधिकारी/संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने से विवर्जित या रेस्टीकेट किया है।

(ख) क्या इस साक्षात्कार प्रपत्र को भरते समय आपके विरूद्ध किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक आधिकारी/संस्था के अधीन कोई मामला विचाराधीन है।

टिप्पणी :-(1) यदि उपरोक्त (क) या (ख) का उत्तर हाँ है तो इस प्रपत्र को भरते समय ऐसे मामले का पूरा विवरण गिरफ्तारी, हवालात, अर्थदण्ड, सजा इत्यादि, व किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय/शैक्षिक आधिकारी के अधीन लम्बित मामले इत्यादि का पूरा विवरण दें।

(2) इस प्रपत्र के आरम्भ में दी गई चेतावनी को भी देखें।

"अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रमाण-पत्र"

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं। मुझे ऐसी किन्ही भी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है जो उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अधीन मेरे सेवायोजन में बाधक सिद्ध हो सकती है।

दिनांक .....

स्थान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

Encl :- Appointment letter

परिशिष्ट–1

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर नियुक्ति की सेवा शर्तें:–

1. प्रशिक्षण

(अ) सामान्यतः आपकी प्रशिक्षण अवधि 12 माह की होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर निगम आपको अवर अभियन्ता पर पर नियमित संवर्ग मे नियुक्ति हेतु आपके पद हेतु उपयुक्तता के प्रतिबन्ध के साथ विचार करेगा। प्रशिक्षण की सामान्य अवधि 12 माह की होगी परन्तु निगम को प्रशिक्षण अवधि कम करने अथवा बढ़ाने जैसा कि उचित समझा जाय, का अधिकार होगा। यदि प्रशिक्षण निगम की संतुष्टि के अनुरूप पूर्ण किया जाता है एवं आपकी अवर अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रशिक्षण की अवधि की तारतम्यता में की जाती है तो प्रशिक्षण अवधि की गणना अवर अभियन्ता के वेतनमान में वेतन वृद्धि हेतु की जायेगी।

(ब) प्रशिक्षणं अवधि में आपका कार्य–कलाप विभिन्न परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकित किया जायेगा एवं यदि प्रशिक्षण के प्राविधानानुसार परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रहते है, तो आपकी अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) के रूप में नियुक्ति तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।

(स) प्रशिक्षण की अवधि 12 माह पूर्ण करने के पश्चात नियमितीकरण/सम्मिलितीकरण परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अवर अभियन्ता (सा0 श्रे0) (वि0 एवं यॉ0)/(जानपद) के पद पर तैनाती के दिनांक से दो (02) वर्ष तक की अवधि के लियें प्रोंबेशन पर रखा जायेगा। नियुक्तियॉ विभिन्न नियमों/विनियमों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। प्रशिक्षण/प्रोबेशन/नियुक्ति की अवधि में विभिन्न ताप विद्युत गृहों के पाली में लंबे समय तक कार्य करना होगा। उत्पादन निगम लि0 द्वारा आपकों अन्य स्थलों पर भी तैनात किया जा सकता है।

(द) आपका कार्य–कलाप असंतोषजनक होने पर आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने जाने अथवा नियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(य) प्रशिक्षण के दौरान अर्जित अंकों व लिखित परीक्षा, साक्षात्कार में अर्जित अंकों को निगम में प्रचलित नियमों के अनुसार मिलाकर आपकी ज्येष्ठता का निर्धारण किया जायेगा।

(र) प्रशिक्षण के प्राविधानानुसार नियम लागू होंगे।

(ल) यदि किसी विषय में आप असफल हो जातें हैं तो प्रशिक्षण के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान पुनः परीक्षा देनी होगी तथा प्रशिक्षण अवधि बढ़ सकती है। प्रशिक्षण अवधि बढ़ने की दशा में बढाई गई अवधि हेतु वार्षिक वेतन वृद्धि देय नंहीं होगी तथा ज्येष्ठता प्रभावित होगी।

2. परिलब्धियॉ

प्रशिक्षण अवधि में आपका वेतन बैंड रू0 9300–34800 तथा सादृश्य ग्रेड वेतन रू0 4200.00 में निर्धारित किया जायेगा। उपरोक्त के अतिक्ति महंगाई भत्ता एवं निगम द्वारा समय–समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. पदनाम व अन्य सेवा शर्ते :–

निगम द्वारा सेवा शर्तो का पुनरीक्षण प्रक्रियाधीन है। इसके प्रभावी होने की स्थिति में पदनाम तथा सेवा शर्ते पुनरीक्षित सेवा शर्तो के अनुसार लागू होंगी।

4. सेवा अनुबन्ध पत्र :–

इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू जो प्रचुर साधनों से युक्त हो (आपके पिता अथवा निकट सम्बन्धी भी हो सकते हैं) को रू0 110/– मूल्य के नान–जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त न्यूनतम पॉच वर्षो तक निगम की सेवा में रहने का सेवा अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त 5 वर्षो की सेवा अवधि में निगम की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि निगम को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के स्तर से कम न हो से प्राप्त हैसियत प्रामण–पत्र भी आपको निष्पादित बन्ध–पत्र के साथ कार्य ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. कार्य ग्रहण करने सम्बन्धी अन्य सामान्य निर्देश :–

1. प्रशिक्षण अवधि में एवं तत्पश्चात् अवर अभियन्ता (सा0 श्रेणी) (वि0 एवं यॉ0)/(जानपद) पर पर नियुक्ति होने पर निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित सेवा नियम, आदेश एवं विनियम आप पर लागू होंगे।
2. अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वि0 एंवं यॉ0)/(जानपद) के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु आपको कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।
3. प्रशिक्षण से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की देशा में आपकी प्रशिक्षण अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता के संवर्ग में आपको बैच में अपकी ज्येष्ठता का ह्रास होगा।
4. आपकी नियुक्ति आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के संतोषजनक पाये जाने के प्रतिबंध के अधीन की गई हैं आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त असंतोषजनक पाये जाने की दशा में आपकी नियुक्ति प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अथवा उसके पश्चात् किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

वर्ष 2014 में सीधी भर्ती से नियुक्त अवर अभियन्ता (वै0/यां0/जा0) प्रशिक्षुओं के आधारभूत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश

उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में सीधी भर्ती से वर्ष 2014 में नियुक्त अवर अभियन्ता (वै0/यां0) प्रशिक्षु के पद पर आपकी नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाया जाना है। इसमें से लगभग 10 सप्ताह हेतु प्रारम्भ में गहन प्रशिक्षण (क्लासरूम) प्रदान किया जायेगा। आप अपने नियुक्ति पत्र, उसमें वर्णित प्रपत्रों तथा फोटो सहित अपने आवंटित ताप विद्युत गृह पर निर्धारित तिथि अनुसार रिपोर्ट करेंगे। आपको तापीय प्रशिक्षण संस्थान, ओबरा, सोनभद्र अथवा सिमुलेटर प्रशिक्षण केन्द्र अनपरा ताप विद्युत गृह अनपरा, सोनभद्र पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। जिसके विस्तृत कार्यक्रम की सूचना आपके नियुक्ति पत्र में वर्णित तैनाती स्थल पर उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त प्रशिक्षण के दौरान निम्न नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी–

1.(क) प्रशिक्षण का विवरण कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रशिक्षु को प्रदान किया जायेगा।

(ख) प्रशिक्षण के दौरान या बाद में समय–समय पर प्रशिक्षण सम्बन्धी विभिन्न विषयों (माड्यूल) पर परीक्षाएं ली जायेंगी।

(ग) निगम में नियुक्ति के पूर्व ली गयी प्रतियोगात्मक परीक्षा (लिखित/ग्रुप डिस्कशन/साक्षात्कार) के कुल प्राप्तांको, प्रशिक्षण के दौरान निगम तथा वाह्य संस्थाओं पर ली गयी परीक्षाओं के मूल अंकों (प्रथम प्रयास में प्राप्त अंको) को जोड़कर निगम में वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। इस प्रकार वरिष्ठता सूची बनाने हेतु कुल अंकों में से 60 भारांश अंक प्रतियोगात्मक परीक्षा तथा 40 भारांश प्रशिक्षण में प्राप्त मूल अंकों के होंगे जो नोरमलाइजेशन की प्रकिया के द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। इस प्रकार अंको को सम्मिलित करते हुए वर्तमान नियमावली के अनुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची घोषित की जायेगी।

(घ) प्रशिक्षण अवधि में ली गयी प्रत्येक माड्यूल की परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 50% अंक लाने अनिवार्य होंगे अन्यथा उस विषय में उत्तीर्ण नहीं माना जायेगा। अनुत्तीर्ण माड्यूल में पुनः परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण करना अन्तिम संवीलीनीकरण परीक्षा (Final Absorption Test) में सम्मिलित होने हेतु अनिवार्य होगा। इस हेतु प्रथम प्रयास सहित कुल दो प्रयास अनुमन्य होंगे, यानि कि अनुत्तीर्ण होने की दशा में उत्तीर्ण करने के लिए केवल एक ही प्रयास और मिलेगा। इस प्रयास में भी अनुत्तीर्ण होने पर उनका प्रशिक्षण असफल घोषित करते हुए प्रशिक्षण अवधि बढ़ा दी जायेगी। एक माड्यूल में दोनों प्रयास में असफल होने पर दो माह प्रति माड्यूल की दर से तथा अधिकतम् 6 माह तक प्रशिक्षण अवधि बढ़ायी जायेगी एवं बढ़ी अवधि में इनके परफारमेंस रिपोर्ट के आधार पर इन्हें अन्तिम संविलीनीकरण परीक्षा (Final Absorption Test) में सम्मिलित कराने हेतु निर्णय लिया जायेगा। इन प्रशिक्षुओं की वरिष्ठता अपने बैच के सफल प्रशिक्षुओं के नीचे निर्धारित होगी तथा इनकी आपसी वरिष्ठता अनुत्तीर्ण माड्यूल्स की संख्या के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(च) वाह्य प्रशिक्षण(क्लासरूम प्रशिक्षण) के उपरान्त प्रशिक्षुओं को विभिन्न ताप विद्युत गृहों/मुख्यालय पर संवर्गवार आवश्यकतानुसार पाली कार्यों सहित अन्य कार्यों में ऑन जॉब प्रशिक्षण कराया जायेगा।

(छ) निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने पर प्रशिक्षण के दौरान पढ़ाये गये विषयों एवं ऑन जॉब प्रशिक्षण में अनुभव के आधार पर एक वृहद अन्तिम संवीलीनीकरण परीक्षा (Final Absorption Test) ली जायेगी, जिसे उत्तीर्ण करने हेतु न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षाफल के आधार पर आपको नियमित किया जायेगा। Final Absorption Test के प्राप्तांक आपकी वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जायेंगे। अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षण अवधि अधिकतम् एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है। साथ ही अनुत्तीर्ण/असफल होने की दशा में आपकी वरिष्ठता में ह्रास

होगा तथा पुनः परीक्षा देकर उसे उत्तीर्ण करने का एक अवसर और प्रदान किया जायेगा। यदि द्वितीय प्रयास में भी प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण पाया जाता है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है।

(ज) निगम द्वारा भविष्य में किसी भी नियमावली में संशोधन/परिवर्तन की दशा में इसे इन प्रशिक्षुओं पर लागू माना जायेगा।

2. प्रशिक्षुओं के लिए ज्वाइनिंग से पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी कोर बैंकिंग सेवा ब्रान्च में अपना खाता खोलकर एटीएम कार्ड/मल्टीसिटी चैकबुक प्राप्त करना सुविधाजनक होगा जिससे उनका मासिक वेतन इस एकाउन्ट में सीधे जमा कराया जा सके।

3.(अ) क्लासरुम प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को उस संस्थान द्वारा निर्धारित निवास में रहना अनिवार्य होगा। खानपान उक्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा पेमेन्ट बेसिस पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(ब) प्रशिक्षण अवधि में निगम के नियमानुसार टीए,डीए एवं अन्य सुविधाएं देय होंगीं।

(स) वाह्य प्रशिक्षण/क्लासरूम प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण की अवधि में अपरिहार्य परिस्थितियों, जिनका आंकलन निगम द्वारा किया जायेगा, के अतिरिक्त कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अनुपस्थिति की दशा में अनुपस्थित अवधि का वेतन अवैतनिक अवकाश मानते हुए देय नहीं होगा। ऑन जॉब ट्रेनिंग के दौरान लिया गया अवकाश सम्बन्धित ताप विद्युत गृह (तैनाती स्थल) से ही निगम के नियमानुसार स्वीकृत किया जायेगा।

(द) प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थिति से ब्रेक इन सर्विस हो सकती है।

(ध) प्रशिक्षण अवधि में अन्य प्रशिक्षुओं के साथ दो या तीन लोगों को एक कमरे में निवास करना होगा, अतः परिवार को साथ रखने की अनुमति किसी भी स्थिति में प्रदान नहीं की जायेगी। महिला प्रशिक्षुओं के रहने की व्यवस्था पृथक रूप से की जायेगी।

(न) प्रशिक्षण की अवधि में कक्षाओं में अथवा अन्य कहीं भी किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता/उदण्डता पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।

(अशोक राठी)
अध्यक्ष, उत्पादन सेवा आयोग